

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.12.2025 के
अतारांकित प्रश्न सं. 603 का उत्तर

चेन्नई-महाबलीपुरम-कुड्डालोर रेललाइन

603. डॉ. एम. के. विष्णु प्रसाद:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) चेन्नई से महाबलीपुरम होते हुए कुड्डालोर तक जाने वाली नई रेलवे लाइन की वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ख) उक्त परियोजना हेतु आबंटित धनराशि तथा किये गये सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या सरकार को पता है कि महाबलीपुरम से होकर जाने वाली चेन्नई-कुड्डालोर नई रेल लाइन फायदेमंद होगी, क्योंकि यह सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र चेन्नई को दक्षिणी तमिलनाडु से जोड़ेगी और यदि हाँ, तो इसका ब्यौरा क्या है; और
- (घ) क्या उक्त प्रस्ताव पर आगामी वर्ष में विचार किया जाएगा और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): चेन्नई - कड्डालोर बरास्ता ममल्लापुरम, माराकनम, पुडुचेरी (179 कि.मी.) नई लाइन परियोजना को बजट 2008-09 में शामिल किया गया था। पुडुचेरी सरकार ने विलुपुरम - पुडुचेरी की मौजूदा लाइन की उत्तरी और दक्षिणी दिशा की ओर संरेखण बदलने के साथ-साथ पुडुचेरी और कड्डालोर के बीच रेलपथ का दोहरीकरण करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि संरेखण में उपरोक्त संशोधन और रेलपथ दोहरीकरण के कारण अतिरिक्त लागत वहन करे। बहरहाल, राज्य सरकार ने परियोजना की अतिरिक्त लागत वहन करने में अपनी अक्षमता दिखाई है।

तमिलनाडु

हाल के वर्षों में बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली अवसंरचना परियोजनाओं और संरक्षा कार्यों हेतु बजट आवंटन निम्नानुसार है:

अवधि	परिव्यय
2009-14	₹879 करोड़ प्रति वर्ष
2025-26	₹6,626 करोड़ (7.5 गुना से अधिक)

01.04.2025 की स्थिति के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली 22,808 करोड़ रुपए की लागत वाली कुल 1,700 किलोमीटर लंबाई की 15 परियोजनाएं (9 नई लाइन, 03 आमामान परिवर्तन और 03 दोहरीकरण) स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 665 किलोमीटर लंबाई को कमीशन कर दिया गया है और मार्च, 2025 तक 7,591 करोड़ रुपए का व्यय किया गया है। इसका सार निम्नानुसार है:-

कोटि	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	कुल लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक कमीशन की गई लंबाई (किलोमीटर में)	मार्च 2025 तक व्यय (करोड़ रुपए में)
नई लाइन	9	812	24	1,337
आमामान परिवर्तन	3	748	604	3,471
दोहरीकरण/मल्टीट्रैकिंग	3	140	37	2,783
कुल	15	1700	665	7,591

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन्हें हाल ही में पूरा किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र. सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	डिंडीगुल पलानी पोलाची आमान परिवर्तन (121 किलोमीटर)	610
2	पोलाची पालघाट आमान परिवर्तन (56 किलोमीटर)	350
3	पोलाची पोत्तनूर आमान परिवर्तन (40 किलोमीटर)	400
4	क्विलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदुर आमान परिवर्तन (357 किलोमीटर)	1122
5	मयिलादुतुरई-थिरुवरुर-कराइक्कुडी आमान परिवर्तन (187 किलोमीटर)	1338
6	मदुरै-बोडियाकन्नूर आमान परिवर्तन (90 किलोमीटर)	593
7	चेंगलपट्टू विल्लुपुरम दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	670
8	तिरुवल्लुर-अराक्कोनम चौथी लाइन (27 किलोमीटर)	83
9	चेन्नई सेंट्रल-बेसिन ब्रिज दोहरीकरण (2 किलोमीटर)	31
10	तंजावुर-पोनमलाई - दोहरीकरण (48 किलोमीटर)	370
11	विल्लुपुरम-डिंडीगुल दोहरीकरण (273 किलोमीटर)	2000
12	चेन्नई बीच-कोरुकुपेट तीसरी लाइन (5 किलोमीटर)	168
13	चेन्नई बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन (22 किलोमीटर)	293
14	ओमलुर-मेत्तूरडैम कहीं-कहीं दोहरीकरण (29 किलोमीटर)	327
15	चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम और तांबरम-चेंगलपट्टू - तीसरी लाइन (133 किलोमीटर)	1122
16	सेलम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालुर दोहरीकरण (11 किलोमीटर)	115
17	मदुरै- मनियाची-तूतीकोरिन दोहरीकरण (160 किलोमीटर)	1891
18	मनियाची-नागरकोइल दोहरीकरण (102 किलोमीटर)	1752
19	चेन्नई बीच- चेन्नई एगमोर दोहरीकरण (4 किलोमीटर)	272
20	कारैक्काल - पेरलम नई लाइन (23 किमी)	373
21	कारैक्काल पोर्ट से उत्तरी छोर बंदरगाह सम्पर्कता (1 किमी)	18

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली कुछ परियोजनाएँ जिन्हें आगे शुरू किया गया है, का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	परियोजना	लागत (करोड़ रु. में)
1	टिंडीवनम-नगरी नई लाइन (184 किलोमीटर)	3631
2	मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किलोमीटर)	359
3	नागपट्टिनम - तिरुतुरईपुंडी नई लाइन (43 किलोमीटर)	742
4	तिरुवनंतपुरम- कन्याकुमारी- दोहरीकरण (87 किलोमीटर)	3785
5	अराक्कोनम यार्ड तीसरी और चौथी लाइन (6 किलोमीटर)	98

पिछले तीन वर्षों 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः रूप से पड़ने वाली कुल 2,493 किमी कुल लंबाई वाले 28 सर्वेक्षण (05 नई लाइन और 23 दोहरीकरण) को स्वीकृत किया गया है।

तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/अंशतः पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का निष्पादन भूमि अधिग्रहण में विलंब के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्नानुसार है:

तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए कुल अपेक्षित भूमि	4326 हेक्टेयर
अधिगृहीत की गई भूमि	1052 हेक्टेयर (24%)
अधिग्रहण हेतु शेष भूमि	3274 हेक्टेयर (76%)

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।

भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित हुई कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्र.सं	परियोजना का नाम	कुल अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)	अधिगृहीत की गई भूमि (हेक्टेयर में)	अधिग्रहण हेतु शेष भूमि (हेक्टेयर में)
1.	तिंडीवनम-तिरुवण्णामलै नई लाइन (71 किलोमीटर)	276	33	243
2.	अतिपट्ट-पुत्तुर नई लाइन (88 किलोमीटर)	189	0	189
3.	मोरप्पुर-धर्मपुरी (36 किलोमीटर)	92	45	47
4.	मन्नारगुडी-पट्टुकोट्टई (41 किलोमीटर)	196	0	196
5.	तंजावूर-पट्टुकोट्टई (52 किलोमीटर)	152	0	152

इसके अलावा, रामेश्वरम - धनुषकोडि नई लाइन (18 किमी) को 734 करोड़ रुपये की लागत से स्वीकृत किया गया था। परियोजना का शिलान्यास 01.03.2019 को किया गया। बहरहाल, परियोजना शुरू नहीं हो सकी क्योंकि तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण नहीं किया गया है।

भारत सरकार परियोजनाओं के निष्पादन के लिए तैयार है, बहरहाल, इनकी सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।

किसी भी रेल परियोजना की स्वीकृति कई मानदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- अनुमानित यातायात पूर्वानुमान और प्रस्तावित मार्ग की लाभप्रदता
- परियोजना द्वारा प्रदान की गई पहली और अंतिम स्थान पहुंच संपर्कता
- अनुपलब्ध कड़ियों को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग प्रदान करना

- संकुलित/संतृप्त लाइनों का विस्तार
- राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जनप्रतिनिधियों द्वारा की गई मांगें
- रेलवे की अपनी परिचालनिक आवश्यकताएँ
- सामाजिक-आर्थिक महत्व
- निधियों की समग्र उपलब्धता

रेल परियोजना/परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन संबंधी स्वीकृति
- अतिलंघनकारी जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक स्वीकृतियाँ
- क्षेत्र की भूवैज्ञानिक और स्थलाकृतिक परिस्थितियाँ
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति
- परियोजना स्थल विशेष के लिए वर्ष में कार्य करने के महीनों की संख्या आदि।

ये सभी कारक परियोजना/परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
